



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042022-234853
CG-DL-E-05042022-234853

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1567]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/चैत्र 15, 1944

No. 1567]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1636(अ).—दिनांक 17.08.2006 को अधिसूचित और दिनांक 16.05.2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षकों की अर्हता, शक्ति और कार्य नियमावली, 2006 (जिसे इसके बाद उक्त नियमावली कहा गया है) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री विनय कुमार शर्मा, महाप्रबंधक (प्रचालन), जेएमआरसीएल को इस अधिसूचना की तारीख से जेएमआरसीएल में उनके कार्यकाल तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपर्युक्त नियमों में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेएमआरसीएल) के लिए वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है:

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, जेएमआरसीएल के कब्जे वाले क्षेत्रों के भीतर अथवा जेएमआरसीएल के नियंत्रणाधीन में कार्यों और विद्युत प्रतिष्ठानों के संबंध में/जेएमआरसीएल से संबंधित प्रचालनाधीन वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपने कार्य निष्पादित करेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि श्री विनय कुमार शर्मा, महाप्रबंधक (प्रचालन), जेएमआरसीएल के रूप में उन्हें सौंपे गए कार्यों के संबंध में अपने वैद्युत निरीक्षक नहीं होंगे।

वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/8/2021-आरएण्डआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1636(E).—in exercise of the powers conferred under sub-section(1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 (herein after called the "said Rules") notified on 17.08.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints Sh. Vinay Kumar Sharma, General Manager (Operations), JMRCL as Electrical Inspector for Jaipur Metro Rail Corporation Ltd (JMRCL), from the date of this Notification till his tenure in JMRCL or till further orders, whichever is earlier, subject to fulfilment of the conditions as mentioned in the said Rules.

The above mentioned officer shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the JMRCL or in respect of works and electrical installations under the control of JMRCL/belonging to JMRCL as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

It shall be ensured that Shri Vinay Kumar Sharma shall not function as the Electrical Inspector in respect of the work assigned to him as General Manager (Operations), JMRCL.

The person appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/8/2021-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.